

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2055
दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

समूह जल आपूर्ति योजना

2055. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान समूह जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत आवंटित कुल बजट क्या है;
- (ख) अब तक जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली संभावित अतिरिक्त धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) राज्यों, विशेषकर छत्तीसगढ़ द्वारा इसके अंतर्गत मांगी गई धनराशि (प्रस्तावित परियोजनाओं/वित्तीय आवश्यकता) का ब्यौरा क्या है;
- (घ) छत्तीसगढ़ को अब तक स्वीकृत/जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने हेतु लक्षित जनसंख्या कितनी है; और
- (ङ) क्या योजना के अंतर्गत आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता, स्थिरता और संचालन का आकलन करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ): जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत राज्यों को वित्त वर्ष 2024-25 तक निधियां आवंटित की गई हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा वितरण के लिए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव पर ध्यान देने के साथ मिशन

के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान जल जीवन मिशन को वर्धित कुल परिव्यय के साथ 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

अब तक, अर्थात् वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 तक जारी की गई धनराशि का राज्य-वार विवरण **संग्रह** है। छत्तीसगढ़ के अनुमानित 25 करोड़ लोगों (प्रति परिवार औसतन 5 व्यक्ति) को कवर करते हुए 49.98 लाख ग्रामीण परिवारों में स्वच्छ नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

(ड): भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करती रही है। क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने, तकनीकी सहायता प्रदान करने आदि के लिए समय-समय पर सम्मेलनों, कार्यशालाओं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठकों, क्षेत्र दौरों आदि सहित कई बैठकें आयोजित की जाती हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के सचिव, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन समीक्षाओं के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाएं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर वास्तविक और वित्तीय प्रगति की सूचना दी गई है और प्रदान किए गए सभी नल जल कनेक्शनों को परिवार के मुखिया की आधार संख्या से जोड़ा जाना है। जेजेएम के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग और काम की गुणवत्ता की जांच के लिए तीसरे पक्ष के निरीक्षण के प्रावधान भी किए गए हैं। इसके अलावा, निगरानी उद्देश्यों के लिए मोबाइल ऐप, जल गुणवत्ता निगरानी सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) आदि का भी उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तृतीय पक्ष कार्यक्षमता मूल्यांकन भी किए जाते हैं। सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ रिपोर्ट साझा की जाती है।

दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2055 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2019-20 में जल जीवन मिशन के तहत आवंटित और जारी धन का राज्य-वार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	केंद्रीय हिस्सा				राज्य हिस्से के तहत व्यय
		अथ शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	व्यय	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	1.78	0.5	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	25.74	372.64	372.64	121.62	60.59
3.	अरुणाचल प्रदेश	6.22	132.55	177.47	127.68	13.05
4.	असम	359.35	694.95	442.36	358.87	29.01
5.	बिहार	313.16	787.31	417.35	473.33	150.34
6.	छत्तीसगढ़	31.58	208.04	65.82	39.23	38.52
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0	0	0	0	0
8.	गोवा	0	7.57	3.08	3.08	6.17
9.	गुजरात	0	390.31	390.31	384.61	394.74
10.	हरियाणा	10.13	149.95	149.95	69.29	73.8
11.	हिमाचल प्रदेश	0	148.67	205.83	197.41	15.46
12.	जम्मू एवं कश्मीर	27.14	322.03	322.03	200.25	24.01
13.	झारखंड	75.79	267.69	291.19	114.89	120.78
14.	कर्नाटक	26.61	546.06	546.06	491.01	298.7
15.	केरल	2.58	248.76	101.29	62.69	57.23
16.	लद्दाख	8.1	166.65	67.86	0	0.61
17.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	1.26	571.6	571.6	326.65	288.75
19.	महाराष्ट्र	248.12	847.97	345.28	308.04	431.79
20.	मणिपुर	0	67.69	91.17	28.2	6.6
21.	मेघालय	0.8	86.02	43.01	26.35	0.77
22.	मिजोरम	0.14	39.87	68.05	37.41	1.81
23.	नागालैंड	0	56.49	56.49	23.54	4.67
24.	ओडिशा	0.78	364.74	364.74	260.46	241.12
25.	पुदुचेरी	1.27	2.5	0	0.97	0
26.	पंजाब	102.91	227.46	227.46	73.27	78.2
27.	राजस्थान	313.67	1301.71	1301.71	620.31	702.35
28.	सिक्किम	0.84	15.41	26.15	14.71	1.48
29.	तमिलनाडु	1.49	373.87	373.1	114.58	99.14
30.	तेलंगाना	4.48	259.14	105.52	88.33	72.89
31.	त्रिपुरा	48.94	107.64	145.37	59.45	6.48
32.	उत्तर प्रदेश	58.33	1206.28	1513.14	638.22	379.17
33.	उत्तराखंड	6.12	170.53	170.53	110.04	23.02
34.	पश्चिम बंगाल	760.82	995.33	994.75	609	469.54
	कुल	2436.37	11139.21	9951.81	5983.49	4090.79

2020-21 में जल जीवन मिशन के तहत आवंटित और जारी धन का राज्य-वार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	केंद्रीय हिस्सा				राज्य हिस्से के तहत व्यय
		अथ शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	व्यय	
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.5	2.93	1.46	1.45	0
2	आंध्र प्रदेश	276.76	790.48	297.62	419.3	181.31
3	अरुणाचल प्रदेश	56.02	254.85	344.85	392.43	47.15
4	असम	452.45	1608.51	551.77	880.44	91.08
5	बिहार	257.18	1839.16	353.6	551.82	374.42
6	छत्तीसगढ़	58.17	445.52	334.14	223.77	221.04
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0	0	0	0	0
8	गोवा	0	12.41	6.2	2.99	13.49
9	गुजरात	5.7	883.08	983.08	838.5	883.43
10	हरियाणा	90.8	289.52	72.38	130.67	120.09
11	हिमाचल प्रदेश	8.42	326.2	547.48	329.01	42.25
12	जम्मू एवं कश्मीर	148.92	681.77	53.72	88.69	5.17
13	झारखंड	268.08	572.24	143.06	286.62	177.73
14	कर्नाटक	81.65	1189.4	446.36	349.62	428.26
15	केरल	41.18	404.24	303.18	304.29	311.25
16	लद्दाख	75.96	352.09	0	9.43	0
17	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	246.21	1280.13	960.09	1014.7	876.84
19	महाराष्ट्र	285.35	1828.92	457.23	473.59	324.56
20	मणिपुर	62.96	131.8	141.8	189.14	18.52
21	मेघालय	17.46	174.92	184.92	188.3	20.44
22	मिजोरम	30.77	79.3	104.3	107.9	10.13
23	नागालैंड	34.9	114.09	85.57	91.95	10
24	ओडिशा	105.07	812.15	609.11	686.41	671.98
25	पुदुचेरी	0.3	4.64	1.06	0.2	1
26	पंजाब	257.1	362.79	0	146.74	152.77
27	राजस्थान	995.07	2522.03	630.51	762.04	815.9
28	सिक्किम	12.3	31.36	39.36	43.43	3.75
29	तमिलनाडु	264.09	921.99	690.36	576.87	399.57
30	तेलंगाना	31.1	412.19	82.71	61.17	133.98
31	त्रिपुरा	136.46	156.61	117.46	195	22.26
32	उत्तर प्रदेश	933.25	2570.94	1295.47	1774.65	885.89
33	उत्तराखंड	66.6	362.58	271.93	227.32	20.02
34	पश्चिम बंगाल	1146.58	1614.18	807.08	1196.07	641.17
कुल		6,447.36	23,033.02	10,917.86	12,544.51	7,905.45

2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत आवंटित और जारी धन का राज्य-वार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	केंद्रीय हिस्सा				राज्य हिस्से के तहत व्यय
		अथ शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	व्यय	
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.52	8.26	2.06	1.95	0
2	आंध्र प्रदेश	155.09	3182.88	791.06	234.02	233.84
3	अरुणाचल प्रदेश	8.43	1013.53	1555.53	1113.37	117.99
4	असम	123.78	5601.16	4200.87	2505.42	312.89
5	बिहार	58.95	6608.25	0	4	336.79
6	छत्तीसगढ़	168.54	1908.96	477.24	498.69	488.63
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0	0	0	0	0
8	गोवा	3.21	45.53	22.77	14.03	17.98
9	गुजरात	150.28	3410.61	2557.96	2124.85	2226.25
10	हरियाणा	32.51	1119.95	559.98	433.78	430.31
11	हिमाचल प्रदेश	226.89	1262.78	2012.78	1420.78	149.71
12	जम्मू एवं कश्मीर	113.96	2747.17	604.18	112.43	8.31
13	झारखंड	124.51	2479.88	512.22	437.21	510.99
14	कर्नाटक	178.39	5008.8	2504.4	1418.68	1567.62
15	केरल	40.07	1804.59	1353.44	957.44	1059.57
16	लद्दाख	66.52	1429.96	340.68	144.96	0
17	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	191.61	5116.79	3837.59	2262.78	2479.33
19	महाराष्ट्र	268.99	7064.41	1666.64	377.98	477.98
20	मणिपुर	15.62	481.19	601.19	474.78	52.8
21	मेघालय	14.18	678.39	1078.39	672.05	76.55
22	मिजोरम	27.17	303.89	303.89	250.98	32.31
23	नागालैंड	28.52	444.81	333.61	345.14	27.88
24	ओडिशा	27.77	3323.42	2492.56	1305.79	1288.36
25	पुदुचेरी	1.18	30.22	7.47	2.32	0.1
26	पंजाब	110.36	1656.39	402.24	247.83	265.7
27	राजस्थान	863.53	10180.5	2345.08	1919.83	1693.61
28	सिक्किम	8.23	124.79	194.79	90.12	11.57
29	तमिलनाडु	377.58	3691.21	614.35	457.63	496.16
30	तेलंगाना	55.15	1653.09	0	17.7	68.88
31	त्रिपुरा	61.51	614.09	714.09	599.82	65.13
32	उत्तर प्रदेश	454.07	10870.5	5435.25	2728.48	2935.18
33	उत्तराखंड	111.22	1443.8	1082.85	603.31	67.99
34	पश्चिम बंगाल	757.58	6998.97	1404.61	1547.52	725.77
	कुल	4,825.92	92,308.77	40,009.77	25,325.67	18,226.18

2022-23 में जल जीवन मिशन के तहत आवंटित और जारी धन का राज्य-वार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	केंद्रीय हिस्सा				राज्य हिस्से के तहत व्यय
		अथ शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	व्यय	
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.63	9.15	2.16	0.6	0
2	आंध्र प्रदेश	712.13	3458.2	0	304.71	98.38
3	अरुणाचल प्रदेश	450.59	1116.35	1116.35	1256.17	181.27
4	असम	1819.22	6117.61	4588.21	3959.95	442.75
5	बिहार	54.95	4766.9	0	0	66.19
6	छत्तीसगढ़	147.09	2223.98	2223.98	2096.7	2079.12
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0	0	0	0	0
8	गोवा	11.95	49.98	0	11.04	20.14
9	गुजरात	583.39	3590.16	3590.16	3084.89	3272.38
10	हरियाणा	158.71	1157.44	463	519.77	447.46
11	हिमाचल प्रदेश	818.89	1344.94	1344.94	1615.65	182.41
12	जम्मू एवं कश्मीर	605.71	3039.11	1439.5	1141.38	153.69
13	झारखंड	199.52	2825.52	2119.14	1789.85	1593
14	कर्नाटक	1264.11	5451.85	2725.93	2807.73	3240.51
15	केरल	436.08	2206.54	2206.54	1741.93	1741.68
16	लद्दाख	262.25	1555.77	382.76	364.34	0
17	लक्षद्वीप	0	36.99	9.25	0	0
18	मध्य प्रदेश	1766.42	5641.02	2820.51	3526.87	3516.37
19	महाराष्ट्र	1557.65	7831.25	3915.62	3109.53	2972.21
20	मणिपुर	142.03	512.05	256.03	233.64	26.03
21	मेघालय	420.52	747.76	1047	1098.48	122.85
22	मिजोरम	80.08	333.91	448.58	407.4	45.74
23	नागालैंड	17	484.28	484.28	481.71	52.71
24	ओडिशा	1214.54	3608.62	1768.73	2166	2149.5
25	पुदुचेरी	6.34	17.83	0	0.94	0.22
26	पंजाब	264.78	2403.46	0	264.8	210.69
27	राजस्थान	1288.79	13328.6	6081.8	3937.7	4123.31
28	सिक्किम	112.9	136.17	188.92	222.53	20.63
29	तमिलनाडु	534.3	4015	872.96	593.71	664.36
30	तेलंगाना	37.44	1657.56	0	11.39	13.52
31	त्रिपुरा	175.78	666.97	849.91	798.67	82.64
32	उत्तर प्रदेश	3160.84	12662.05	9496.54	9650.07	9259.84
33	उत्तराखंड	590.75	1612.5	1209.38	1515.93	163.93
34	पश्चिम बंगाल	614.67	6180.25	3090.12	1953.73	3204.21
कुल		19,510.05	1,00,789.77	54,742.30	50,667.81	40,147.74

2023-24 में जल जीवन मिशन के तहत आवंटित और जारी धन का राज्य-वार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	केंद्रीय हिस्सा				राज्य हिस्से के तहत व्यय
		अथ शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	व्यय	
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.2	7.52	3.76	0.99	0
2	आंध्र प्रदेश	407.42	6530.49	793.57	861.11	939.08
3	अरुणाचल प्रदेश	310.77	1057.11	771.21	1056.97	137.98
4	असम	2447.48	10351.68	6204	7870.9	866.11
5	बिहार	54.95	0	0	0	0
6	छत्तीसगढ़	274.38	4485.6	2885.56	2638.91	2627.12
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0	0	0	0	0
8	गोवा	0.92	11.25	11.25	11.76	11.25
9	गुजरात	1088.66	2982.85	2237.14	2377.83	2676.4
10	हरियाणा	101.93	1053.44	526.72	589.79	687.56
11	हिमाचल प्रदेश	548.18	379.67	402.34	859.96	98.38
12	जम्मू एवं कश्मीर	903.84	9611.31	3267.12	3510.26	364.69
13	झारखंड	528.81	4722.76	2875.35	3140.7	3291.53
14	कर्नाटक	1182.31	12623.37	4966.62	5266.73	6106.09
15	केरल	900.69	1342.36	671.18	1465.41	1448.53
16	लद्दाख	280.66	477.11	131.07	346.73	0
17	लक्षद्वीप	9.25	39.63	19.82	0	0
18	मध्य प्रदेश	1060.06	10297.86	5419.9	6388.57	6390.54
19	महाराष्ट्र	2363.74	21465.88	7444.26	8208.53	8371.34
20	मणिपुर	164.42	110.54	0	119.49	18.75
21	मेघालय	369.04	3567.25	1500	1573.51	171.74
22	मिजोरम	121.27	425.46	303.1	416.52	43.77
23	नागालैंड	19.57	366.86	314.9	294.71	44.02
24	ओडिशा	817.27	2108.54	2108.54	2441.58	2428.36
25	पुदुचेरी	5.4	15.39	1	6.39	0.62
26	पंजाब	0	479.02	119.76	103.79	166.43
27	राजस्थान	3432.89	3019.94	250	2898.54	3904.64
28	सिक्किम	79.29	634.55	251.61	318.98	29.67
29	तमिलनाडु	813.55	3615.56	2617.1	2617.49	2612.3
30	तेलंगाना	26.06	0	0	0	0
31	त्रिपुरा	227.01	1773.4	744.18	860.09	105.25
32	उत्तर प्रदेश	3007.3	20884.45	16947	19102.47	20285.3
33	उत्तराखंड	284.2	4689.69	1890.66	1942.71	236.81
34	पश्चिम बंगाल	1751.06	3806.29	4206.29	5004.16	5155.11
कुल		23,584.58	1,32,936.83	69,885.01	82,295.58	69,219.37

2024-25 में जल जीवन मिशन के तहत आवंटित और जारी धन का राज्य-वार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	केंद्रीय हिस्सा				राज्य हिस्से के तहत व्यय
		अथ शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	व्यय	
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4.97	2.98	0.45	0.61	0
2	आंध्र प्रदेश	339.88	2520.97	70	375.65	597.87
3	अरुणाचल प्रदेश	25.02	217.82	108.91	84.14	4.85
4	असम	780.58	5198.78	2159.63	2829.16	315.7
5	बिहार	54.95	0	0	0	0
6	छत्तीसगढ़	521.03	1277.27	191.59	489.82	3008.22
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0	0	0	0	0
8	गोवा	0.4	4.32	0.65	1.05	6.89
9	गुजरात	947.97	2420.14	59	818.84	2697.35
10	हरियाणा	38.86	462.03	0	23.68	264.8
11	हिमाचल प्रदेश	90.56	916.53	137.48	189.2	19.67
12	जम्मू एवं कश्मीर	660.69	2112.86	693.86	1341.93	135.53
13	झारखंड	263.46	2114.22	70	203.56	1097.6
14	कर्नाटक	882.2	3804.41	570.66	764.14	10078.54
15	केरल	106.45	1949.36	974.68	1081.13	1403.7
16	लद्दाख	65	624.78	187.43	181.04	0
17	लक्षद्वीप	29.06	0.75	0.56	3.17	0
18	मध्य प्रदेश	91.39	4044.7	2622.35	2683.52	10190.95
19	महाराष्ट्र	1599.47	5352.93	1605.88	2235.12	3150.59
20	मणिपुर	44.93	0	0	33.57	1.12
21	मेघालय	295.54	653.6	405.65	672.62	81.03
22	मिजोरम	7.85	45.09	13.52	18.95	9.62
23	नागालैंड	39.75	39.75	19.87	59.45	6.61
24	ओडिशा	484.23	2455.94	368.39	750.81	2834.61
25	पुदुचेरी	0.01	12.58	3.77	3.5	1.84
26	पंजाब	15.97	644.54	50	59.16	242.77
27	राजस्थान	784.35	11061.46	1659.22	2212.99	3171.9
28	सिक्किम	11.92	124.5	62.25	72.94	16.44
29	तमिलनाडु	813.15	2438.89	731.67	1333.23	3343.47
30	तेलंगाना	26.06	0	0	0	0
31	त्रिपुरा	111.1	736.75	368.38	477.98	65.86
32	उत्तर प्रदेश	851.83	12621.95	6310.98	7162.8	12423.82
33	उत्तराखंड	232.15	1016.8	568.4	671.59	90.88
34	पश्चिम बंगाल	953.19	5049.98	2524.99	3003.06	4905.55
कुल		11,173.97	69,926.68	22,540.22	29,838.41	60,167.78